न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी डॉ. नरेश सोनी, आर०ए०एस०

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
मगसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी सोनपुरा तह० सुमेरपुर जिला पाली		1.किशोर कुमार पुत्र मीठाराम जी 2.झुमिला पत्नी मीठाराम 3.बसंती पत्नी देवा 4.सुरेश कुमार पुत्र मीठारामजी 5.हरिश कुमार पुत्र मीठाराम सर्वजातियान ढोली निवासीगण बड़गांव तह० शिवगंज 6.राज० सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

रा०प्रा० पत्र रा० 27/2022

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 04.7.2023

–::आदेश ::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़ के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा बड़गांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 810/1 रकबा 2.2177 हैक्टयर किस्म बारानी–1 स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी चली आ रही है। प्रार्थी कदीमी से अपने खेत पर फसल बोने जोतने जाने हेतु ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु रास्ता पुराने समय से चला आ रहा है। प्रार्थी भी उसी का उपयोग व उपभोग करता हुआ आ रहा है। वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नं0 811/3, 811/4 उत्तरी पश्चिमी माठ से होकर खसरा नं0 810/1 में आना जाना होता था। जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शें में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता करीब 4 मीटर चौडा है। जो पिछले कई वर्षो से चला आ रहा था जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी ही करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि आराजी पर आने–जाने, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिये उक्त रास्ते का ही उपयोग करता आ रहा है। इस रास्ते को अप्रार्थीगण सं0 1 लगाय 5 द्वारा रोक दिया गया है। तथा मौके पर तारबंदी, लकडियां व कांटे लगाकर रास्ते को अवरूध कर दिया गया है। जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि पर ट्रेक्टर लाने लेजाने एवं आने जाने हेतु भारी असुविधा हो रही है। जिससे प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते में दर्ज करवाना चाहते हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 710 दिनाक 26.08.2022 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल चित्तारा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 17.02.2023 को अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की और से जवाब पेश किया। दिनांक 04.07.2023 को तहसीलदार शिवगंज की और से मौका जॉच रिपोर्ट एवं रास्ता हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता अंकित है, की रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि मौजा बडगांव के खसरा नं0 810/1 रकबा 2.2177 हैक्टयर किस्म बारानी–1 भूमि में प्रवेश करने के लिये प्रस्तावित मार्ग खेत खसरा सं0 811/4 में से 140 वर्गमीटर व बिलानाम भूमि खसरा नं0 811/3 में से 760 वर्गमीटर है। मौके एवं रेकर्ड के अनुसार ख0नं0 811/4 रकबा 0.8094 किशोर कुमार, सुरेश, हरीश पुत्रगण मीठारामजी झुमिला पत्नी मीठारामजी, बसंती पत्नी देवा वगैरह जातिगण ढोली के एवं खसरा नं0 811/3 क्षेत्रफल 1.3840 हैक्टयर सिवायचक बंजर बिलानाम भूमि में रास्ता [illegible] प्रस्तावित रास्ता की भूमि खसरा नं0 811/3 बिलानाम भूमि होने से व सिंचित काश्त [illegible] असिंचित भूमि की डीएलसी दर 1017156 रूपये प्रति हैक्टयर होने से खसरा नं0 811/3 [illegible] की भूमि 760 वर्गमीटर भूमि की दर 77,304 रूपये होते है। जिसका दुगना 154608 रूपये बनते है। खसरा नं0 811/4 की डीएलसी दर 1157272/–प्रतिहैक्टयर है। इसके अनुसार कुल कीमत 16202/–रूपये बनती है। जिसका दुगुना 32404/–रूपये होते है। यानि भुगतान योग्य कुल राशि 179[illegible]/–रूपये बनती है। खसरा नं0 811/4 में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल 35 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा यानि कुल 140 वर्गमीटर एवं बिलानाम खसरा नं0 811/3 में रास्ते का क्षैत्रफल 190 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा यानि कुल 760 वर्गमीटर होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

लगातार...............पेज–2

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्रकरण सं0 27/2022
मगसिंह बनाम किशोर कुमार व अन्य
अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

दिनांक 04.07.2023 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की ओर से रास्ता खसरा नं0 811/4 में से दिये जाने हेतु किसी प्रकार की कोई लिखित आपत्ति पेश नहीं की है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शा अनुसार अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज ने अपनी सहमति दी। स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज की सहमति होने के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिवगंज के प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता की भूमि खसरा नं0 811/3 बिलानाम भूमि होने से व सिंचित काश्त नहीं होने से असिंचित भूमि की डीएलसी दर 1017156 रूपये प्रति हैक्टयर होने से खसरा नं0 811/3 में प्रस्तावित रास्ते की भूमि 760 वर्गमीटर भूमि की दर 77,304 रूपये होते है। जिसका दुगुना 1,54,608/–रूपये बनते है। खसरा नं0 811/4 की डीएलसी दर 1157272/–प्रतिहैक्टयर है। इसके अनुसार कुल कीमत 16,202/–रूपये बनती है। जिसका दुगुना 32,404/–रूपये होते है। यानि भुगतान योग्य कुल राशि 1,87,012/–(एक लाख सितयासी हजार बारह रूपये) बनती है। खसरा नं0 811/4 में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल 35 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा यानि कुल 140 वर्गमीटर एवं बिलानाम खसरा नं0 811/3 में रास्ते का क्षैत्रफल 190 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा यानि कुल 760 वर्गमीटर होता है। तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 811/3 में प्रस्तावित रास्ता 190 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा यानि 760 वर्गमीटर लम्बाई के भूमि की राशि 1,54,608/–(एक लाख चौपन हजार छः सौ आंठ) रूपये का भुगतान की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे व खसरा नं0 811/4 में प्रस्तावित रास्ता 35 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा यानि कुल 140 वर्गमीटर भूमि की कुल राशि 32404/–(बत्तीस हजार चार सौ चार) रूपये अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 को भुगतान करने के पश्चात बिलानाम सिवायचक/खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

यह आदेश आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 04.07.2023

कमांक/कोर्ट/2023/586
प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1.तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

सहायक कलक्टर,
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested